



2024/297

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय द्वितीय,
सीकर जिला सीकर।

693

विषय:-राजस्व रिकॉर्ड में डिक्री आदेश की पालना कर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जाने बाबत।

28/8/24

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.8700 हैक्टर वाकै ग्राम तारपुरा पटवार हल्का तारपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, जिन भूमियों के सम्बन्ध में एक वाद संख्या-47/2021 बउनवानी बाली कंवर वगैरह बनाम जगदीश सिंह वगैरह माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। जिस वाद का निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.08.2024 को किया जाकर डिक्री पारित की गयी है। जिस अनुसार पक्षकारान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड करवाया जाना न्यायोचित है, जिससे माननीय न्यायालय के आदेश की समुचित पालना हो सकें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 118, 119 व 185 वाकै ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, का राजस्व रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार, सीकर को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय है।

भागीरथ सिंह

प्रार्थी

दिनांक:-28.8.2024

भागीरथ सिंह पुत्र श्री नाराणा जाति दरोगा
निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर
राजस्थान।।